

डिक्री बमुकदमें ईब्दाई  
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता  
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी  
पीठासीन अधिकारी-उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.

1. सदर अयूब पुत्र जुल्फकार जाति मुसलमान निवासी सूरेवाला तहसील टिब्बी ।
2. शोकत अली पुत्र जुल्फकार जाति मुसलमान निवासी सूरेवाला तहसील टिब्बी ।
3. नाजम हुसैन पुत्र जुल्फकार जाति मुसलमान निवासी सूरेवाला तहसील टिब्बी ।

--वादीगण

बनाम

1. जुल्फकार पुत्र अनवर अली जाति मुसलमान निवासी सूरेवाला तहसील टिब्बी ।
2. शबनम बेगम पुत्री जुल्फकार पत्नी अकरम जाति मुसलमान निवासी सूरेवाला तहसील टिब्बी ।
3. तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी ।

--प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.के सम्मुख वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री संजय कुमार शर्मा वकील वादीगण भिन जामिन मुदई श्री महावीर प्रसाद वर्मा प्रतिवादीगण भिन जानिब मुदायला पेश होकर हुयाम दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि प्रतिवादी सं. 1 जुल्फकार के नाम से चक नं. 13 सीडीआर में दर्ज कुल रकबा में से निम्नानुसार आराजी प्राप्त हुई है:-

- (क)-वादी संख्या 1 सदर अयूब का हक हिस्सा व कब्जा काशत:-चक नं. 13 सीडीआर प.नं. 209/266 कि.नं. 1,10,11,20,21 कुल 1.2650 है।
- (ख)-वादी संख्या 2 शौकत अली का हक हिस्सा व कब्जा काशत:-चक नं. 13 सीडीआर प.नं. 209/266 कि.नं. 2,9,12,19,22 कुल 1.2650 है।
- (ग)-वादी संख्या 3 नाजम हुसैन का हक हिस्सा व कब्जा काशत:-चक नं. 13 सीडीआर प.नं. 209/265 कि.नं. 19 ता 22/1.012 है. 11/0.126,12/0.127 है. कुल 1.2650 है।

उपरोक्तानुसार वादीगण संख्या 1 ता 3 को खातेदार काशतकार घोषित किया जाता है व खाता विभाजन कर रकम राज अलग से कायम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। प्रतिवादी संख्या 1 का उपर्युक्त वर्णितानुसार हिस्सा कम किया जाकर वादीगण के नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकन कर शेष हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 यथावत रखे जाने के आदेश दिये जाते हैं। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे। उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामाद किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

निज.....निल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत्.....निल.....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक ...६.८.१८...अदा करें।

बसबत मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक.....६.८.१८.....को जारी किया गया।

इकाबत फोटो

उप खण्ड अधिकारी  
टिब्बी

( उम्मेद सिंह रतनू )  
सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी